(68)

प्रपत्र 30

न अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा नेर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector Dehradun**

No Camp Dated 15/08/16

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.0825hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Extention of Hamarau Lalawu M/Road To Maletha Dantanu Badnu Motor Road (8.575 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Masarad,Basaya village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.0825hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

**(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; **

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

69

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand | Office of the District Magistrate

No comp | Dated 15/03/16

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.0825hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Extention of Hamarau Lalawu M/Road To Maletha Dantanu Badnu Motor Road(1.000 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Masarad,Basaya village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.0825hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Chichrad villages(s) is enclosed as annexure..... To annexure......

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated ..15/3/16.. at time 10:00 AM at Dehradun In which application claiming rights in measuring 2.3975Area hect for the construction of Village Extention of Hamarau Lalawu M/Road To Maletha Dantanu Badnu MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..dehradun

Dated:..15/03/16..

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

परियोजना का नाम :- शा0 संख्या-41/111-2/04-55(बजट)/04 दिनांक 30/3/2005 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ ललउ मसराड मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । कि0मी0 1 से 8.000 तक

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय -समय पर संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनमत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11-09/98-FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 15/3/2016 मे जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। बैठक मे समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक मे निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ-

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम हमरउ ललउ मसराड मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग हेतु 2.0825है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं, उस पर अवस्थित 198 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार ग्राम प्रभरउ, व माया ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक 02/02/15 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक

को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रेंन्ज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हत भु-भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत वनअधिकारी हेतु कोई दावा नही है ।

बैठक मे जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त मे बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी ।

15/03/2016.

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून सदस्य सचिव	प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता सदस्य	जिलाधिकारी देहरादून

प्रपत्र 30.3

(72)

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरोउ ललउ मसराड़ मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू का नवनिर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कालसी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी

उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत हमरोउ ललउ मसराड़ मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.5575 है0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.525 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.0825 है0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कालसी) की दिनांक 2-2-16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रेमलाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री प्रेमलाल उपजिलाधिकारी कालसी	अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) उप जिलाधिकारी कालसी
श्री जी0सी0 मार्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी चकराता वन प्रभाग चकराता	सदस्य	(हस्ताक्षर) उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी
श्री मिट्ठन लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालसी	सदस्य/सचिव	(हस्ताक्षर) सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालसी, देहरादून
श्रीमती प्रभा देवी बी0डी0सी0	सदस्य	प्रभा देवी प्रभा देवी सदस्य क्षेत्र पंचायत प्राजुषा वि0 ख0 कालसी (देहरादून)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हमरोउ ललउ मसराड़ मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.3975 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम हमरोउ ललउ मसराड़ मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.3975 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कालसी
जनपद– देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कालसी
जनपद– देहरादून

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरोउ ललउ मसराड़ मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू का नवनिर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मसराड़
तहसील कालसी, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अर्न्तगत हमरोउ ललउ मसराड़ मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (.0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.5575 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.525 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.0825 हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मसराड़ द्वारा दिनांक 2-2-16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ललउ मसराड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत सचिव / ग्राम विकास अधिकारी
विकासखण्ड कालसी
मुहर सहित
जनपद – देहरादून

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
प्रधान ग्राम पंचायत मसराड़

75

प्रपत्र 30.5

दिनांक 2-2-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मसराड़

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शमशेर सिंह	[signature]
2	दीवान सिंह	दीवान सिंह
3	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
4	महावीर सिंह	महावीर
5	भगत सिंह	भगत सिंह
6	सन्तन सिंह	सन्तन सिंह
7	रतन सिंह	रतन सिंह
8	साम्भो देवी	साम्भो देवी
9	सरिता देवी	सरिता देवी
10	पूरन सिंह	पूरन सिंह
11	चमन सिंह	चमन सिंह
12	उर्मिला देवी	उर्मिला देवी
13	बीना देवी	बीना देवी
14	सुशीला देवी	सुशीला देवी
15	अनिता देवी	अनिता देवी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकासखण्ड – कालसी
जनपद – देहरादून

सुनिता
ग्राम प्रधान

18

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरोउ ललउ मसराड़ मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू का नवनिर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम बसाया
तहसील कालसी, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अर्न्तगत **हमरोउ ललउ मसराड़ मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (.0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.5575हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.525 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.0825 हे0 वन भूमि) का **लो0नि0वि0** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **बसाया** द्वारा दिनांक 2-2-16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बसाया गडेथा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत बसाया
ह0
वि0
वि0ख0 कालसी (दे0दून)

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकासखण्ड – कालसी
जनपद – देहरादून

(77)

प्रपत्र 30.5

दिनांक 2-2-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बसाया

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमति - बाला देवी,	बाला देवी
2	" सुनिता देवी,	सुनिता देवी
3	" सरिता देवी,	सरिता देवी
4	" प्रेमा देवी (वार्ड सदस्या)	प्रेमा देवी
5	" अनारी देवी,	अनारी देवी
6	" सलारी देवी (वार्ड सदस्या)	सलारी देवी
7	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
8	नागचन्द सिंह	नागचन्द
9	बीर सिंह	बीर सिंह
10	श्याम सिंह	श्याम सिंह
11	विजय सिंह	विजय सिंह
12	अतर सिंह	अतर सिंह
13	सरदार सिंह	सरदार सिंह
14	सन्तन सिंह	सन्तन सिंह
15	पूरण सिंह वर्मा	[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकासखण्ड – कालसी
जनपद – देहरादून

प्रधान ग्राम पंचायत बसाया
ह0 सलारी
वि0ख0 कालसी (दे0दून)

ग्राम प्रधान